

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/04/22

वकुलाय अफ.)
 प्रकरण से सम्बन्धित मूल अपील में निपटारा
 पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में
 स्थगन प्रार्थना पत्र को बागो खालाना औचित्यहीन
 है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज
 किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र मूल
 अपील के साथ मरपी होकर वंम न्यायालय
 से नम्बर कम हो।



श्री. विना कलकटर, यल्ल